अनुभाग 4/11/2019

:: आदेश ::

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रॉक–08 बी/यू0सी0पी0/02/127/2018/एफ0सी0/986, दिनॉक 05.08.2019 के द्वारा चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण में पड़ने वाली 4.50 हे0 वन भूमि के बदले 9.00 हे0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट द्वारा प्रस्तुत सिविल भूमि म्यूटेशन प्रतिवेदन के कम में, उप जिलाधिकारी लोहाघाट द्वारा अपने पत्र संख्या–119, दिनॉक 25.11.2019 द्वारा लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण में पड़ने वाली 4.50 हे0 वन भूमि के बदले, ग्राम कोटसारी पट्टी क्षेत्र दिगालीचौड़, तहसील लोहाघाट के खाता संख्या–107, श्रेणी– 9(3)ड0 बं0का0आ0 के खेत/खसरा नं0 4013, रकवा 1.75 हे0, खेत नं0 4038, रकवा 1.664 हे0, खेत नं0 4083, रकवा 1.00 हे0, खेत नं0 4128, रकवा 0.788 हे0, कुल 9.00 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गई है। उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार, प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है:–

1– भूमि कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित की गयी है। जिसके पूरब में सिविल व आरक्षित भूमि, पश्चिम में सिविल भूमि, उत्तर में नदी व आरक्षित भूमि तथा दक्षिण में सिविल भूमि स्थित है।

2– प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक स्थल, श्मशानघाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है।

3– प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई सार्वजनिक/सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन नहीं है।

4– प्रस्तावित सिविल भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

5– प्रस्तावित सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम प्रधानों की निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

उपजिलाधिकारी [illegible] द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की संस्तुति की गयी है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25, सुभाष रोड, देहरादून के पत्रॉक–08 बी/यू0सी0पी0/02/127/2018/एफ0सी0/986, दिनॉक 05.08.2019 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी लोहाघाट की उक्त संस्तुति के कम में, जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण में प्रभावित होने वाली 4.50 हे0 वन भूमि के बदले, ग्राम– कोटसारी पट्टी क्षेत्र दिगालीचौड़ तहसील लोहाघाट के खाता संख्या–107, श्रेणी– 9(3)ड0 बं0का0आ0 के खेत/खसरा नं0 4013, रकवा 1.75 हे0, खेत नं0 4038, रकवा 1.664 हे0, खेत नं0 4083, रकवा 1.00 हे0, खेत नं0 4128, रकवा 0.788 हे0, कुल 9.00 हे0 भूमि को, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या– 1241/सात–व0भू0–भूमि हस्तॉ0/2019, दिनॉक 03 दिसम्बर 2019।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
4. उप जिलाधिकारी लोहाघाट।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट।
6. तहसीलदार लोहाघाट को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम नियमानुसार भू–अभिलेखों में नामान्तरण कर, हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(एस0एन0 पाण्डे) 2.12.2019
जिलाधिकारी चम्पावत।

04.12.19

4.12.19

Scanned by CamScanner